महत्वपूर्ण

पत्र सं0-स्था-6-सामान्य कोविड-19/20-21/2021-22/ 4886 /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 13 जनवरी, 2022

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर,
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022 दिनांक 13.01.2022(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के सम्बन्ध में गृह विभाग के पत्र संख्या-70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10.01.2022 द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने सम्बन्धी निर्देश जारी किये गये है।

अत: उक्त के क्रम में शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में दिये गये निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
प्रभार- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

3- प्रान्तीय अध्यक्ष, यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।

13/01/2022

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
प्रभार- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022
लखनऊ:: दिनांक:: 13 जनवरी, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

विषयः- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में।

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोके जाने के संबंध में गृह विभाग के पत्र संख्या-70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

(1) शासन के समस्त विभाग/विभागाध्यक्ष/जनपदों के जिलाधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालयों में समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्वीकृत पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य संपादित करें।

(2) इस हेतु समूह 'ख', समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लिया जाय कि ऐसे कर्मी आल्टरनेट (वैकल्पिक) सप्ताह में कार्यालय आयें। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

(3) रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक्स साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सकेगा।

(4) उक्त दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।

(5) यह आदेश विधानसभा निर्वाचन कार्यों में तैनात कार्मिकों पर लागू नहीं होंगे।

(6) उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-1/2022/03/सामान्य/का-4-2022(1),तद्दिनांक,

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उ0प्र0।

3- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेबसाइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।